मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद (निर्वाचन) नियम, 2009 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्रकाशन दिनॉक 12 फरवरी, 2009

(हिन्दी एवं अंग्रेजी)

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनांतर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 फरवरी 2009—माघ 23, शक 1930

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 फरवरी 2009

क्र. एफ 1-49-09-1-उनसठ.—आयुष मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 51 की उपधारा (2) के खण्ड ''ख'' द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् (निर्वाचन) नियम, 2008 है;

(2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976);

(ख) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राज्य होम्योपैथी परिषद् ;

(ग) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप; और

(घ) ''रिटर्निंग आफिसर'' से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी.

3. **प्रारंभिक मतदाता सूची तैयार करना.**—रिटर्निंग आफिसर इस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिये साठ दिवस के भीतर राज्य में के प्रत्येक राजस्व आयुक्त संभाग के लिये परिषद् के रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकृत होम्योपैथी चिकित्सालय व्यवसायियों की देवनागरी लिपि में हिन्दी में एक सूची तैयार करवाएगा. ऐसी सूची, प्ररूप-1 में तैयार की जायेगी और यह प्रारंभिक मतदाता सूची कहलाएगी.

4. **प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन व विज्ञापन.**—(1) इस प्रकार तैयार की गई प्रत्येक प्रारंभिक मतदाताओं की सूची का प्रकाशन, परिषद् द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में करवाया जायेगा और इस प्रकार प्रकाशित सूची संबंधित राजस्व संभागायुक्त के कार्यालय के सूचना पटल तथा परिषद् कार्यालय में प्रदर्शित की जायेगी इसके साथ संलग्नित एक सूचनापत्र के साथ,

(क) परिषद् के रजिस्ट्रार की सूचना की तारीख से 15 दिवस के भीतर, इसके संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति या दावों को लिखित में आमंत्रित किया जाएगा.

(ख) ऐसी आपत्तियां तथा दावों की, यदि कोई हों, सुनवाई करने के लिये परिषद् के रजिस्ट्रार द्वारा तारीख व समय निर्धारित किया जायेगा और मामलों का यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र निराकरण किया जाएगा तथा उसके पश्चात् अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना की तारीख से, ऐसी प्रत्येक अंतिम मतदाता सूची का अवलोकन सभी होम्योपैथिक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सकों तथा इस व्यवसाय से जुड़े अन्य व्यक्तियों द्वारा उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों में ऐसे दिनों में कार्यालयीन समय के दौरान निःशुल्क अवलोकन किया जाएगा.

5. **संशोधन हेतु आपत्तियां और अनुरोध.**—(1) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं किया गया है अथवा किसी गलत स्थान में दर्ज किया गया है अथवा अशुद्ध विशिष्टयों के साथ दर्ज किया गया है या कोई भी व्यक्ति जिसका नाम इस मतदाता सूची में दर्ज किया गया है. जिसे अपना स्वयं का नाम अथवा किसी अन्य व्यक्ति का नाम सूची में सम्मिलित किये जाने पर आपत्ति है. वह इसके संबंध में नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन अपना दावा या आपत्ति सूचना की तारीख से 15 दिवस के अन्दर, परिषद् के पंजीयक को अपरान्ह तीन बजे के पूर्व लिखित में आवेदन दे सकेगा और निर्धारित तिथि व समय के बाद, किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी.

(2) दावे या आपत्तियों के साथ दावेदार/आपत्तिकर्ता जिन दस्तावेज/दस्तावजों पर विश्वास करता है, अवश्य संलग्न होने चाहिये.

6. **आपत्तियों का निपटारा एवं अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन.**—(1) रजिस्ट्रार, आपत्तियों या दावों की ऐसी संक्षिप्त जांच, जैसा वह उचित समझे, करने के पश्चात् अपना निर्णय अभिलिखित करेगा.

(2) इस नियम के अधीन किसी कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति का कोई विधि व्यवसायी प्रतिनिधित्व नहीं करेगा.

(3) रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा तथा प्रत्येक मतदाता सूची, ऐसे निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित की जाएगी.

(4) इस प्रकार संशोधित मतदाता सूची अंतिम होगी तथा अंतिम मतदाता सूची के रूप में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी तथा उनकी प्रत्येक की एक प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख के लिये परिषद् कार्यालय में रखी जाएगी. यह अंतिम मतदाता सूची निर्वाचक नामावली होगी. रजिस्ट्रार, मतदाता सूची की कितनी भी प्रतियां जैसा वह उचित समझे, रिटर्निंग अधिकारी की ओर अग्रेषित करेगा.

7. **अंतिम मतदाता सूची का निरीक्षण.**—नियम 6 के उपनियम (4) में निर्दिष्ट अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का रु. 50/- प्रति घण्टा फीस के भुगतान करने पर प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा उसकी सत्यापित प्रति विहित कुछ राशि के भुगतान पर परिषद् द्वारा आवेदक को जारी की जाएगी.

8. **समय-समय पर मतदाता सूची का पुनरीक्षण.**—(1) नियम 6 के उपनियम (4) में यथानिर्दिष्ट मतदाता सूची तब तक प्रभावशील रहेगी जब तक कि उक्त नियम के उपनियम (2) के अनुसार पुनरीक्षित नहीं कर दी जाती है.

(2) ऐसी प्रत्येक मतदाता सूची को पुनरीक्षित किया जाएगा और उस सूची को जब कभी सामान्य चुनाव हों, अद्यतन किया जाएगा तथा नियम 4, 5 और 6 के उपबंध मतदाता सूची के ऐसे पुनरीक्षण पर लागू होंगे.

9. **आपत्तियों पर रजिस्ट्रार का आदेश परिरक्षित रखा जाएगा.**—नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन प्रकाशित प्रारंभिक मतदाता सूची तथा नियम 5 के अधीन प्राप्त दावों व आपत्तियों के साथ उन पर रजिस्ट्रार का आदेश उक्त सूची के आगामी पुनरीक्षण के समय तक परिषद् के अभिलेखागार में परिरक्षित रखा जाएगा तथा उसके पश्चात् नष्ट किया जा सकेगा.

10. निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन.—रिटर्निंग आफिसर होम्योपैथी परिषद् के निर्वाचन कार्यक्रम का प्रकाशन, रिटर्निंग आफिसर को मतपत्र वापस प्राप्त करने की अंतिम तारीख के कम से कम 60 दिवस पूर्व मध्यप्रदेश राजपत्र में तथा राज्य के अग्रणी समाचार-पत्र में प्रकाशित करवाएगा.

11. उप रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति.—(1) रिटर्निंग आफिसर इन नियमों द्वारा उपबंधित रीति में निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिये जितना उपयुक्त समझे उतने शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा. रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक राजस्व आयुक्त संभाग के लिये एक उप रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करेगा.

(2) इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किये गये शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों को समय-समय पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्धारित परिश्रमिक तथा यात्रा भत्तों का भुगतान किया जाएगा.

(3) राज्य सरकार परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के लिये ऐसे अग्रिम स्वीकृत करेगी जैसे कि प्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिये रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्रस्तावित किया जाए.

12. निर्वाचन से संबंधित अधिसूचना का जारी करना.—(1) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक निम्न प्रक्रियाओं के लिये, ऐसी अन्य रीति में, जैसा कि वह उचित समझे, अनुसार तिथि समय तथा स्थान नियत करेगा और मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित करवाएगा :—

(1) प्ररूप-2 में नामनिर्देशन-पत्रों की प्राप्ति तथा उनकी जांच;

(2) नियम 16 के उपनियम (5) के अधीन प्ररूप-3 में मतपत्रों का भेजना;

(3) नियम 21 और 22 के अधीन मतपत्रों की प्राप्ति, जांच तथा मतों की गिनती करना.

13. नामनिर्देशन-पत्र का सत्यापन.—(1) प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र दो मतदाताओं द्वारा प्रस्तावक एवं समर्थक के रूप में हस्ताक्षरित किए जाएंगे परन्तु प्रस्तावक अथवा समर्थक के रूप में कोई भी मतदाता प्रस्तावक अथवा समर्थक के रूप में एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा. नामनिर्देशन-पत्रों को रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय या उप रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में भेजा जायेगा, जैसा कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा अधिसूचित किया जाए :

परन्तु एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्र एक ही मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है तो रिटर्निंग आफिसर को सबसे पहले प्राप्त नामनिर्देशन-पत्र यदि वह पूर्णत: सही भरा गया हो तो उसे वैध माना जायेगा तथा यदि एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्र उसी मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित किये गये हैं तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राप्त प्रथम नामनिर्देशन के अतिरिक्त सभी ऐसे नामनिर्देशन-पत्रों को निरस्त किया जोगा.

(2) ऐसा नामनिर्देशन-पत्र प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर प्राप्ति का समय तथा तारीख पृष्ठांकित करेगा.

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी नामनिर्देशन-पत्र के साथ रिटर्निंग आफिसर को डिमान्ड ड्राफ्ट या मनीआर्डर के द्वारा रु. 550/- (पांच सौ पच्चास) की राशि जमा कराएगा. यदि जमा की जाने वाली राशि मनीआर्डर के माध्यम से प्रेषित की गई हो तो नामांकन-पत्र के साथ मनी आर्डर की रसीद संलग्न करेगा. ऐसे नामांकन-पत्र जो बैंक ड्राफ्ट या मनीआर्डर की रसीद के बिना पाये जावेंगे उन्हें रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकार नहीं किया जायेगा. जमा की जाने वाली राशि यदि परिषद् में उपनियम (4) के अधीन राजसात नहीं की गई है तो चुनाव परिणाम घोषित हो जाने के बाद यथासंभव अभ्यर्थी को वापस कर दी जायेगी.

(4) यदि अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं होता है तथा उसके पक्ष में दर्ज वैध मत की संख्या कुल दर्ज वैध मतों की संख्या के कुल चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से भाग देने पर आने वाली संख्या के आठवें हिस्से से कम है, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदवार द्वारा जमा करालें गई राशि परिषद् को राजसात हो जाएगी.

14. नियत तिथि से पूर्व नामनिर्देशन-पत्रों का प्रस्तुत किया जाना.—नामनिर्देशन-पत्र, जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राप्त नामनिर्देशन-पत्रों की जांच के लिये निर्धारित तिथि व समय पर या उसके पूर्व प्राप्त नहीं होते हैं तो उक्त नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर द्वारा निरस्त कर दिये जाएंगे.

15. **नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा.**—(1) रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये नियत तारीख व समय पर, प्रत्येक अभ्यर्थी अथवा उसका प्रस्तावक तथा समर्थक या प्रतिनिधि रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में उपस्थित हो सकेगा जिसे उनके समक्ष समस्त अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्रों का परीक्षण करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा.

(2) उसके बाद रिटर्निंग आफिसर सभी नामनिर्देशन-पत्रों का परीक्षण करेगा तथा उन आपत्तियों पर जो किसी भी नामनिर्देशन-पत्र के संबंध में की जाएं, विचार करेगा तथा संक्षिप्त जांच पड़ताल करने पर या स्वविवेक से यदि वह उचित समझता है, तो निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर नामनिर्देशन-पत्र को निरस्त कर सकता है :—

(क) यह कि अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अभ्यर्थी को सीट पर चयनित किये जाने के लिये अयोग्य घोषित किया जाता है.

(ख) यह कि नामनिर्देशन-पत्र पर प्रस्तावक या समर्थक हस्ताक्षर करने के लिये निरर्हित है.

(ग) यह कि नामनिर्देशन-पत्र पर स्वयं अभ्यर्थी अथवा उसके प्रस्तावक या समर्थक के हस्ताक्षर वास्तविक नहीं पाये जाते हैं, और

(घ) यह कि आवेदक के पास होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा अर्हता नहीं है.

(ङ) यह कि नामनिर्देशन-पत्रों की जांच के समय स्वयं अभ्यर्थी अथवा उसके प्रस्तावक या समर्थक का नाम होम्योपैथी की राज्य पूंजी में सम्मिलित न हो और वह मध्यप्रदेश का निवासी न हो.

16. **मतदान.**—(1) यदि अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन चुनाव में, खड़े होने वाले नामांकित प्रत्याशी की संख्या एक से अधिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस धारा के अधीन चुने जाने वाले सदस्य की संख्या के विरुद्ध रिटर्निंग आफिसर ऐसे उम्मीदवार को तत्काल निर्वाचित घोषित करेगा.

(2) यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक है तो ऐसी स्थिति में रिटर्निंग आफिसर मध्यप्रदेश राजपत्र में तत्काल प्रावधिक मतपत्र प्रकाशित करवायेगा और उसके बाद प्ररूप-3 में उनके नाम मतपत्र के रूप में सम्मिलित करवाएगा.

(3) सम्यक्रूप से नामित कोई अभ्यर्थी मध्यप्रदेश राजपत्र में उनका नाम प्रकाशित होने के सात दिवस के अंदर रिटर्निंग आफिसर को अपने हस्ताक्षरित पत्र लिखकर अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकता है परन्तु उसके पश्चात् उसे अपना वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(4) रिटर्निंग आफिसर, नाम वापस लेने की सूचना प्राप्त होने पर, संबंधित तथ्यों की जानकारी मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित करवायेगा तथा प्रत्येक राजस्व आयुक्त संभाग के लिये अंतिम रूप से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूची अलग-अलग प्रकाशित करवायेगा.

(5) निर्वाचन होने की स्थिति में रिटर्निंग आफिसर, समस्त राजस्व आयुक्त संभाग के सभी मतदाताओं को निर्वाचन की निर्धारित तिथि से तीन दिन पूर्व प्ररूप-5 में एक सूचनापत्र, प्ररूप-4 में एक घोषणा-पत्र के साथ रिटर्निंग आफिसर के सम्यकरूप से हस्ताक्षर किया हुआ प्ररूप-3 रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा जिसमें राजस्व आयुक्त संभाग से चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यार्थियों के नाम वर्णमाला के क्रम में देवनागरी लिपि हिन्दी में मुद्रित होंगे. रिटर्निंग आफिसर उपरोक्त सामग्रियों के साथ मतदाताओं को एक बड़ा तथा आंतरिक दो लिफाफे भी भेजेगा. बाहरी या बड़े लिफाफे पर रिटर्निंग आफिसर का पता लिखा रहेगा तथा यह बाहरी या बड़ा लिफाफा आंतरिक या अंदर रखे जाने वाले लिफाफे से आकार में बड़ा होगा.

अतिरिक्त लिफाफे पर "मतपत्र लिफाफा" लिखा रहेगा जिसके अंदर मतपत्र रख कर भेजा जायेगा तथा बड़े लिफाफे पर रिटर्निंग आफिसर का पता मुद्रित होगा जिसके अंदर मतपत्र रखा जाएगा. इस बड़े लिफाफे के अंदर, मतदाता द्वारा भरा गया घोषणा-पत्र भी रखा जायेगा.

(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट अन्य सामग्री के साथ मतपत्र निर्वाचन के लिये निर्धारित तिथि से सात दिन पूर्व रिटर्निंग आफिसर को आवेदन करने पर किसी मतदाता को प्रदाय किया जाएगा बशर्ते कि रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाए कि निर्धारित तिथि तक उसे मतपत्र प्रदाय नहीं किया गया है.

(7) ऐसे मतदाता जिन्हें मतपत्र एवं अन्य सामग्री डाक से प्राप्त न हुई हो या उसने उसे पाने के बाद उन्हें खो दिया हो अथवा रिटर्निंग आफिसर को वापस भेजने के पूर्व अनवधानता से खराब हो गया है, यथास्थिति, वह रिटर्निंग आफिसर को लिखित में अनुरोध कर ऐसे घोषणा पत्र के साथ, निर्वाचन की निर्धारित तारीख से सात दिन पूर्व पुनः जारी करने हेतु मांग कर सकेगा. वह प्राप्त मत-पत्र तथा अन्य सामग्री जो खराब हो गई है उक्त अनुरोध सहित उसे वापस लौटाएगा जो रिटर्निंग आफिसर पुनः प्रदाय के पूर्व खराब हुए मतपत्र को निरस्त कर देगा.

(8) ऐसे मामलों में, जहां मतपत्र दोबारा जारी किये गये हैं, रिटर्निंग आफिसर मतदाता सूची में ऐसे मतदाताओं के नाम के आगे हस्ताक्षर कर, टीप अंकित करेगा कि इन्हें मतपत्र दोबारा जारी किया गया है.

(9) किसी मतदाता को उसका मतपत्र नहीं मिल पाने के कारणों से कोई निर्वाचन अविधिमान्य नहीं किया जायेगा.

17. **मतपत्रों का लौटाया जाना.**—कोई भी मतदाता जो अपने मत को अभिलिखित करने का इच्छुक है, वह घोषणा पत्र को विहित रीति में भरेगा और अपने मताधिकार का उपयोग कर अपना मतपत्र, स्वयं के व्यय पर रजिस्ट्रीकृत डाक से रिटर्निंग आफिसर को भेजेगा. मतदाता द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गये मतपत्र को वैध माना जाएगा तथा उसे प्राप्ति के लिये एक पावती दी जावेगी. रिटर्निंग आफिसर द्वारा नियत तारीख व समय के बाद प्राप्त मतपत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा.

18. **रिटर्निंग आफीसर द्वारा पृष्ठांकन.**—घोषणा पत्र के साथ मतपत्र युक्त लिफाफे की प्राप्ति पर रिटर्निंग आफिसर उक्त बाहरी (बड़े) लिफाफे पर, उसमें प्राप्त होने की तारीख व समय पृष्ठांकित करेगा.

19. **मतों की गणना.**—(1) मतों की गणना तथा जांच के प्रयोजन के लिए निर्वाचन की तारीख की शाम को 5.00 बजे रिटर्निंग आफिसर नियत स्थान पर स्वयं उपस्थित रहेगा.

(2) रिटर्निंग आफिसर द्वारा उपनियम (1) में विननिर्दिष्ट तारीख के दिन शाम 5.00 बजे के तुरन्त बाद मतपत्र रखे बाहरी (बड़े) लिफाफों को खोलेगा.

(3) प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके द्वारा सम्यकरूप से लिखित में अधिकृत एक प्रतिनिधि, मतों की गणना की प्रक्रिया देखने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह सकेगा.

20. **मतपत्र रखे जाने के लिए आशयित लिफाफे को निरस्त किये जाने के संबंध में.**—रिटर्निंग आफिसर, मतपत्र रखे जाने के लिये आशयित लिफाफे को निरस्त करेगा, यदि :—

(1) (क) घोषणा-पत्र, मतपत्र रखे जाने वाले लिफाफे के बाहर न रखा गया हो; या

(ख) रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता को भेजे गये घोषणा-पत्र से अलग किसी अन्य स्वरूप में घोषणा-पत्र प्राप्त हुआ हो; या

(ग) घोषणा-पत्र मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित न हो; या

(घ) मतपत्र को निर्धारित लिफाफे में न रखा गया हो तथा वह बड़े बाहरी लिफाफे में रखा गया हो; या

(ङ) बाहरी बड़े लिफाफे में एक से अधिक मतपत्र या घोषणा पत्र रखे गये हो; या

(च) घोषणा-पत्र पर मतदाता का राज्य होम्योपैथी परिषद् के अधीन रजिस्ट्रीकरण क्रमांक का उल्लेख न किया गया हो.

(2) ऐसे मामलों में जो उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट हैं, रिटर्निंग आफिसर मतपत्र रखे जाने वाले लिफाफे तथा घोषणा-पत्र पर "अस्वीकृत" लिखेगा.

(3) रिटर्निंग आफिसर अपने समाधान के बाद नियम 24 के अनुसार सभी घोषणापत्रों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा.

21. **मतों की संवीक्षा तथा गणना के समय रिटर्निंग आफिसर की उपस्थिति.**—(1) रिटर्निंग आफिसर नियत दिवस पर मतपत्रों की गणना तथा संवीक्षा के लिये व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा :

परन्तु इस प्रयोजन के लिये नियत दिन, किसी भी दशा में निर्वाचन की तारीख से तीन दिन से अधिक का न हो.

(2) नियम 20 के अधीन निरस्त किये गये मतपत्रों को छोड़कर मतपत्र रखे हुए समस्त लिफाफों को खोला जायेगा और मतपत्रों को बाहर निकाला जाएगा तथा उन्हें मिला दिया जायेगा तथा उनकी संवीक्षा के बाद मतपत्रों की गणना प्रारंभ की जायेगी, परन्तु गणना प्रारंभ करने के पूर्व इन वैद्य मतपत्रों को उनके राजस्व आयुक्त संभागवार व्यवस्थित किया जाएगा. गणना राजस्व आयुक्त संभागवार की जाएगी.

(3) मतपत्र अवधिमान्य होगा,—

(क) यदि उस पर रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर नहीं होंगे; या

(ख) यदि उस पर मतदान करने वाले मतदाता के हस्ताक्षर या कोई भी ऐसा पहचान का लेख या चिन्ह होगा जिससे उसकी पहचान हो सके; या

(ग) यदि उसने मताधिकार के उपयोग के संदर्भ में किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने "×" का चिन्ह न लगाया हो; या

(घ) यदि "×" का चिन्ह एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने लगाया गया हो अथवा "×" का चिन्ह शंकास्पद स्थिति में लगा हो कि जिससे यह स्पष्ट न हो सके कि किस प्रत्याशी के पक्ष में मताधिकार का उपयोग किया गया हैं;

(ङ) यदि "×" का चिन्ह पेन्सिल से लगाया गया हो.

22. **मतों की गणना के समय अभ्यर्थियों की उपस्थिति.**—(1) प्रत्येक अभ्यर्थी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रह सकता है या उसके द्वारा सम्यकरूप से अधिकृत या उसके द्वारा लिखित में गणना की प्रक्रिया पर निगरानी रखने हेतु प्रतिनिधि को भेज सकता है.

(2) रिटर्निंग आफिसर मतपत्र दिखा सकेगा यदि अभ्यर्थी या उसका प्रतिनिधि ऐसा अपेक्षित करे.

(3) यदि इस आधार पर किसी मतपत्र पर कोई आपत्ति की जाती है कि इसमें अनुदेशों का अनुपालन नहीं हुआ है या रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी मतपत्र को रद्द कर दिया है तो रिटर्निंग आफिसर द्वारा उसे तुरन्त निपटाया जाएगा, जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा.

(4) रिटर्निंग आफिसर इतनी संख्या में राजपत्रित अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा जितना कि वह संवीक्षा तथा मतपत्रों की गणना के प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे.

23. **निर्वाचन के परिणाम की घोषणा.**—(1) जब मतपत्रों की गिनती पूर्ण हो जाती है, तब रिटर्निंग आफिसर द्वारा तुरन्त उस अभ्यर्थी को, जिसको अधिकतम वैध मत प्राप्त हुए हैं, निर्वाचित घोषित किया जाएगा.

(2) यदि दो अभ्यर्थियों को बराबर संख्या में मत प्राप्त हुए हैं तथा एक अतिरिक्त मत मिलने पर उस अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है तो ऐसे अभ्यर्थी को जिसे एक अतिरिक्त मत दिया गया है उसका निर्णय रिटर्निंग आफिसर द्वारा ऐसी रीति में, जैसा कि वह विनिश्चय करे, लाट डालकर किया जायेगा.

24. **निर्वाचन से संबंधित दस्तावेजों को सील बंद कर तथा सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना.**—गणना पूर्ण होने तथा रिटर्निंग आफिसर द्वारा परिणाम की घोषणा के बाद सभी मतपत्रों तथा निर्वाचन से संबंधित अन्य सभी दस्तावेजों को सील बंद कर, आगामी छह माह तक अथवा राज्य सरकार के समक्ष किसी भी उठायी गई आपत्तियों के निराकरण होने तक जो भी बाद में हो, अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन सुरक्षित प्रतिधारित किया जाएगा और तदुपरान्त उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा.

25. **निर्वाचन के परिणाम की संसूचना.**—रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन का परिणाम राज्य होम्योपैथी परिषद् तथा मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव को संसूचित करने के बाद मध्यप्रदेश राजपत्र में सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित करवाऐगा.

26. **निर्वाचन को रद्द किया जाना.**—राज्य सरकार, होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अधीन किसी भी एक या एक से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन में किसी भी प्रकार की भ्रष्ट प्रक्रिया अपनाये जाने अथवा अन्य किसी पर्याप्त कारण के संबंध में लिखित शिकायत करने पर राज्य सरकार चुनाव निरस्त कर सकती है तथा मतदाताओं को नये निर्वाचन कराने के लिये निर्देशित कर सकती है. अधिनियम के उपबंधों के अधीन इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किया गया निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा.

27. **इन नियमों के निबंधनों के संबंध में परिषद् की व्याख्या.**—इन नियमों के आशय, अर्थान्वयन या लागू किए जाने के संबंध में किसी भी प्रकार के उठाये गये प्रश्नों पर होम्योपैथी परिषद् का निर्णय, राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा.

28. **निर्वाचन के संबंध में विवाद.**—परिषद् के किसी भी निर्वाचित सदस्य के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद उद्भूत होता है तो वह 30 दिन के भीतर राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

29. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—इन नियमों के तत्स्थानी ठीक पूर्व प्रवृत्त कोई भी नियम या आदेश निरस्त हो जाएंगे :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन पारित कोई आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन पारित किया गया आदेश है या की गई कार्रवाई है.

प्ररुप–1

(नियम 3 देखिये)

मतदाता सूची

राजस्व आयुक्त संभाग का नाम .....

अनुक्रमांक	मतादाता का नाम तथा पता	पिता/पति का नाम	पुरुष/स्त्री	जन्म तिथि	मतदाता का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्ररुप-2

[नियम 12 का खण्ड (1) देखिए]

नामांकन-पत्र का प्रपत्र

कृपया अभ्यर्थी यहां अपना हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें.

राजस्व आयुक्त का संभाग .....

1. प्रत्याशी का नाम .....

2. पिता/पति का नाम .....

3. जन्मतिथि/आयु वर्ष ..... माह ..... दिन .....

4. होम्योपैथी के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त शिक्षा, मान्यता प्राप्त संस्था का नाम तथा उत्तीर्ण करने का वर्ष. .....

5. राज्य पंजी का पंजीयन क्रमांक .....

6. निवास का पता .....

7. राजस्व आयुक्त संभाग .....

8. प्रस्तावक के हस्ताक्षर .....

9. प्रस्तावक का पंजीयन क्रमांक .....

10. प्रस्तावक के निवास का पता .....

11. समर्थक का हस्ताक्षर .....

12. समर्थक का पंजीयन क्रमांक .....

13. समर्थक के निवास का पता .....

प्रत्याशी का घोषणा-पत्र

मैं, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु स्वयं को ..... संभाग से अभ्यर्थी होना स्वीकार करता हूं.

तारीख .....

.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

दिनांक ..... को ..... बजे राजस्व आयुक्त संभाग ..... से नामांकन प्राप्त हुआ.

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर

अनुदेश

1. दिनांक ..... को ..... बजे तक ..... स्थान पर प्राप्त न होने पर नामांकन-पत्र निरस्त कर दिया जाऐगा.

2. अभ्यर्थी प्रस्तावक तथा समर्थक का नाम तथा निवास का पता वैसे ही लिखा जाना चाहिये जैसा कि राज्य होम्योपैथी परिषद् द्वारा संधारित राज्य रजिस्टर में अभिलिखित है.

प्ररुप-3

[नियम 12 का खण्ड (2) देखिए]

मतपत्र

1. अनुक्रमांक .....

2. राजस्व आयुक्त संभाग का नाम .....

3. निर्वाचित किये जाने वाले सदस्य की संख्या एक

क्रमांक (1)	अभ्यर्थी का नाम तथा उसका पता (2)	मतदान का चिन्ह (3)
1.	.....	.....
2.	.....	.....
3.	.....	.....
4.	.....	.....
5.	.....	.....

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर

अनुदेश

1. मत देने वाले व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी एक अभ्यर्थी के नाम के समक्ष उपरोक्त कालम (3) में ही X निशान लगाना है.

2. मतपत्र निरस्त माना जायेगा, यदि :—

(क) उसमें रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर नहीं हैं; या

(ख) उसमें मतदाता का हस्ताक्षर या किसी भी अन्य प्रकार का चिन्ह अंकित हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकें; या

(ग) किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने उपयुक्त स्थान पर × का चिन्ह न लगा हो; या

(घ) एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के समक्ष × का निशान अंकित हो; या

(ङ) × का चिन्ह इस प्रकार अंकित हो जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सके कि यह × का निशान दो अभ्यर्थियों के पक्ष में लगाया गया है;

(च) यदि × का चिन्ह पेंसिल से लगाया गया हो.

प्ररुप-4

[नियम 16 का उपनियम (5) देखिए]

घोषणा

1. मतदाता का पूरा नाम तथा पता ....

....

....

2. राज्य रजिस्टर के अनुसार रजिस्ट्रीकरण क्रमांक ....

मैं, ... (मतदाता का नाम) एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन के उद्देश्य से यह घोषणा करता हूं कि मैं ऐसे निर्वाचन के लिये मतदाता हूं और मैंने किसी सदस्य के निर्वाचन के प्रयोजन के लिये इस घोषणा-पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं.

दिनांक . . . .

. . . .
मतदाता के हस्ताक्षर

रिटर्निंग आफिसर
के हस्ताक्षर की अनुकृति

प्ररुप-5

[नियम 16 का उपनियम (5) देखिए]

निर्वाचन के लिये अनुदेश

महोदय,

1. ऐसे अभ्यर्थी, जिनका नाम मतपत्र में छपा हुआ है, एतद्द्वारा, राज्य होम्योपैथी परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी घोषित किये जाते हैं. यदि आप अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि :—

(क) सम्यक प्रपत्र में घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करें;

(ख) मतपत्र में निर्धारित स्थान पर '×' का चिन्ह लगाये;

(ग) इस प्रयोजन के लिये निर्धारित छोटे लिफाफे में मतपत्र रखें तथा उस छोटे लिफाफे को बंद कर दें; तथा

(घ) खण्ड (ग) में निर्दिष्ट एक बड़े लिफाफे जिस पर रिटर्निंग आफिसर का नाम अंकित है उसमें छोटा लिफाफा रख दें साथ ही उसमें आपके द्वारा भरा तथा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र भी रख दें और उसे दिनांक . . . . के पूर्व रिटर्निंग आफिसर को डाक से भेज दें अथवा उस दिनांक या उस दिनांक के पूर्व निश्चित रूप से शाम 5.00 बजे के पूर्व व्यक्तिगत हस्ते से रिटर्निंग आफिसर को आवश्यक रूप से सौंप दें.

2. मतपत्र निरस्त माना जावेगा यदि :—

(क) निर्धारित लिफ़ाफा जिसमें मतपत्र रखा है वह डाक द्वारा या व्यक्तिगत हस्ते से चुनाव के लिये निर्धारित स्थान पर निर्धारित तारीख व समय तक नहीं पहुंचा; या

(ख) बड़े लिफाफे में छोटे लिफ़ाफे के साथ हस्ताक्षरयुक्त घोषणा-पत्र नहीं पाया गया; या

(ग) रिटर्निंग आफिसर द्वारा पूर्व में भेजे गये घोषणा-पत्र के अतिरिक्त किसी अन्य घोषणा पत्र में घोषणा-पत्र पाया गया हो; या

(घ) घोषणा-पत्र में रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर की सील लगी नहीं पायी गयी; या

(ङ) मतपत्र को निर्धारित छोटे लिफाफे में बंद नहीं किया गया पाया गया और वह बड़े लिफाफे में खुला पाया गया; या

(च) एक से अधिक मतपत्र या घोषणा-पत्र या दोनों को बाहरी बड़े लिफाफे में रख कर भेजा गया हो; या

(छ) मतदाता परिषद् द्वारा आवंटित पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करना भूल गया हो.

3. मतपत्र को निरस्त कर दिया जायेगा, यदि :—

(क) उस पर रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर न हों; या

(ख) उस पर मतदाता के हस्ताक्षर अथवा कोई भी ऐसा चिन्ह या लिखा हुआ हो कि जिससे मतदाता की पहचान की जा सके; या

(ग) उक्त मतपत्र में निर्धारित नियत स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर "×" चिन्ह लगा हो; या

(घ) "×" का निशान एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने लगाया गया हो; या

(ङ) "×" का चिन्ह इस प्रकार लगाया गया हो जिससे यह स्पष्ट न हो कि किस अभ्यर्थी के पक्ष में यह मत डाला गया है.

4. यदि मतपत्र तथा अन्य संलग्न कागज-पत्र जिनका उपयोग या स्वरूप खराब हो गया हो तथा इस प्रकार का हो कि उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है ऐसी सामग्री निर्वाचन की निर्धारित तारीख से सात दिन पूर्व रिटर्निंग आफिसर को वापस कर दिया जाये साथ ही लिखित में एक अनुरोध पत्र भी भेजा जायें जिसमें उक्त लौटायी गयी सामग्री (मतपत्र एवं अन्य कागज-पत्र) के बदले में दूसरी उतनी ही सामग्री प्रदान किये जाने का उल्लेख हो. रिटर्निंग आफिसर बदले में एक नया मतपत्र एवं अन्य कागज-पत्र भेज सकता है बशर्ते वह मतदाता के अनुरोध-पत्र में दर्शाये गये कारणों से पूर्णत: संतुष्ट हो.

5. मतपत्रों के जांच तथा गणना के समय स्वयं अभ्यर्थियों तथा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को प्रक्रिया में उपस्थित रहने की अनुमति रिटर्निंग आफिसर प्रदान ना करें. रिटर्निंग आफिसर उनके कार्य में सहयोग हेतु नियुक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्वाचन प्रक्रिया में सम्मिलित कर उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 12th February 2009

No.F 1-49/09/1/59/Ayush.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 51 read with sub section (1) of section 4 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976), the State Government, hereby, makes the following rules, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.**— (1) These rule may be called the Madhya Pradesh State Homoeopathy Council (Election) rules, 2008.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definition.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam.1976 (No. 19 of 1976) ;

(b) "Council" means the State Council of Homoeopathy constituted under section 3 of the Act;

(c) "Form" means a form appended to these rules; and

(d) "Returning Officer" means an Officer appointed by the State Government under sub section (1) of section 4 of the Act.

3. **Preparation of preliminary Voter's list.**— The Returning Officer shall, for each of the Revenue Commissioners' Division in the State, cause the Registrar of the Council to prepare a list of Registered Practitioners of Homoeopathy in Hindi in Devnagri script within a period of sixty days for the purpose of clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Act. Such list shall be prepared in form-1 and shall be known as preliminary voters list.

4. **Publication and posting of preliminary Voter's list.**—(1) Each preliminary voters list so prepared shall be published by the Council in Madhya Pradesh Gazette and list so published shall be exhibited on the notice Boards of the office of the Commissioner of the Revenue Division to which it pertains and the Council along with a notice.—

(a) inviting objections thereto and claims in respect thereof to be presented in writing within 15 days from the date of notice to the Registrar of the Council: and

(b) fixing a date and time for the hearing of such objections and claims, if any, by the Registrar of the Council and the matter shall be decided as early as possible and thereafter the final voters listshall be published.

(2) From the date of notice referred to in sub rule (1), each such list shall also be open for public inspection free of charge by the Registered Practitioners and others concerned with the profession for such days during office hours in the offices as referred to in sub rule (1).

5. **Objections and request for correction.**—(1) any person, whose name is not entered in the voters list or is entered in an incorrect place or with incorrect particulars or any person whose name is entered in the list and who objects to the inclusion of his own name or the name of any person in that list, may prefer a claim or objection by delivering to the Registrar of the Council an application in writing not later than 3 O clock in the afternoon of the 15th day from the date of the notice under clause (a) of sub rule (1) of rule 4 and no claim or objection received after that time shall be entertained by the Registrar.

(2) A claim or objection shall be accompanied by a document/documents on which the claimant or objector relies upon.

6. **Settlement of objections and publication of final voter's list.**— (1) The Registrar shall, after holding such summary inquiry into the claims or objections, as he deems fit, record his decision in writing.

(2) No person shall be represented by any legal practitioner in any proceeding under this rule.

(3) The decision of the Registrar shall be final and each voters list shall be revised in accordance with such decision.

(4) The voters list so amended shall be final and shall be published as the final voters list in the Gazette of Madhya Pradesh and a certified copy of each of the same shall be kept in the office of the Council for record.This final voters list shall be the Electoral Roll. The Registrar shall forward as many number of the copies of the voters list to the Returning Officer as he deems fit.

7. **Inspection of final voter's list.**—Every Registered Practitioner shall have the right to inspect the final voters list referred to in sub-rule (4) of Rule 6 on payment of a fee of Rs.Fifty per hour and attested copy thereof shall be issued to an applicant on payment of the some fees as are prescribed by the Council .

8. **Revision of voter's list from time to time.**—(1) Voter's list as referred to in sub-rule (4) of Rule 6 shall continue to be in force until revised in accordance with sub-rule (2) of said Section.

(2) Every such list shall be revised and shall be made upto date whenever General election is due to take place, and the provisions of rules 4, 5 and 6 shall apply to such revision of the voter list..

9. **Registrar's order an objections to be preserved.**—The preliminary voters list published under sub-rule (1) of Rule 4 and the claims and objections received under rule 5 along with the order of the Registrar thereon shall be preserved in the record room of the Council till the next revision of the said list and thereafter it may be destroyed.

10. **Publication of election programme.**—The Returning Officer shall publish the election programme of Homoeopathy Council in the Gazette of Madhya Pradesh and in leading news paper of the State at least 60 days before the last date fixed for receiving back the ballot paper to the Returning Officer.

11. **Appointment of Deputy Returning Officers.**— (1) The Returning Officer may appoint such number of Government Officers and employees as he may deem fit for effectually conducting the election in the manner provided by these rules. The Returning Officer shall appoint one Deputy Returning Officer for each Revenue Commissioner's Division.

(2) The Government Officers and employees appointed for this purpose shall be paid such remuneration and traveling allowances as may be determined by the Returning Officer from time to time.

(3) The State Government shall sanction such advance for the elections of the members of the Council as may be proposed by the Returning Officer for defraying the anticipated expenditure on this account.

12. **Issue of Notification Pertaining to Eelection.**—The Returning Officer shall appoint and shall notify in the Madhya Pradesh Gazette and in such other manner as he thinks fit the date, time and place for each of the following proceedings, namely.—

(1) the receipt of nomination papers in Form-2 and their scrutiny,

(2) sending of voting papers in Form 3 under sub-rule (5) of Rule 16; and

(3) the receipt of voting papers and the scrutiny and counting of votes under rules 21 and 22.

13. **Subscription of nomination paper.**— (1) Each nomination paper shall be subscribed by two electors as proposer and seconder; provided that no elector shall subscribe more nomination papers than one either as proposer or as seconder. The nomination papers shall be sent to the Returning Officer at his Office or to the Deputy Returning Officer as the Returning Officer notifies :

Provided that if more than one nomination paper is subscribed by the same elector the nomination paper first received by the Returning Officer shall, if otherwise in order, be held to be valid, and if more than one nomination paper signed by the same elector is received simultaneously by the Returning Officer, all of such nomination papers other than the first one shall be liable to be cancelled.

(2) On receipt of such nomination paper the Returning Officer shall forthwith endorse thereon the date and time of receipt.

(3) Every candidate shall along with the nomination paper, deposit with the Returning Officer a sum of Rs. 550/- (Rs. Five Hundred fifty) by way of a Demand Draft or money order. If the amount of deposit is remitted by money order, receipt shall be attached to the nomination paper. A nomination paper not accompanied by the Bank Draft or Money Order receipt, shall not to be accepted by the Returning Officer. The deposit shall unless it is forfeited to the Council under sub-rule (4) be returned to the candidate as soon as possible, after the result of the election is declared.

(4) If a candidate is not elected and the number of valid votes recorded in his favour is less than one eighth of the total number of votes recorded divided by the total number of members to be elected, the deposit shall be forfeited to the Council.

14. **Submission of nomination papers before fixed date.**—Nomination papers which are not received by the Returning Officer on or before the date and time appointed therein for scrutiny of the same, shall be rejected by the Returning Officer.

15. **Scrutiny of nomination papers.**—(1) On the date and time appointed by the Returning Officer for the scrutiny of nomination papers, every candidate and her or his proposer and seconder or their representative may attend at the office of the Returning Officer, who shall allow them to examine the nomination papers of all candidates which have been received by him as aforesaid.

(2) The Returning Officer shall then examine the nomination papers and shall decide all objections which may be made to any nomination, and may either on such objection or on his own motion, after such summary inquiry, if any, as he thinks necessary, reject any nomination on any of the following grounds that is to say,—

(a) that the candidate is disqualified for being chosen to fill the seat by or under the Act;

(b) that the proposer or seconder is disqualified from subscribing a nomination paper;

(c) that the signature of the candidate or of the proposer or of the seconder on the nomination is not genuine; and

(d) that the candidate does not possess a recognised Medical Qualification included in the IInd Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973.

(e) that on the date of scrutiny of nomination paper the name of the candidate or his proposer or his seconder does not exist in the State Register of Homoeopathy and that he is not the resident of State of Madhya Pradesh.

16. **Poll.**—(1) If in the case of an election under clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Act, the number of duly nominated candidates who stand for election does not exceed one i.e., the number to be elected under that clause the Returning Officer shall forthwith declare such candidate elected.

(2) If the number of such candidate exceeds the number of one, the Returning Officer shall forthwith publish their names and address in the Madhya Pradesh Gazette as provisional voting paper and shall further cause their names to be entered in the voting paper in Form 3.

(3) Any duly nominated candidate may withdraw her or his candidature by submitting to the Returning Officer a written and signed withdrawal within seven days after her or his name has been published in the Madhya Pradesh Gazette and it shall not be permissible to her or him subsequently to cancel such withdrawal.

(4) On receiving notice of such a withdrawal the Returning Officer shall publish the fact of such withdrawal in the Madhya Pradesh Gazette and shall publish the final list of the candidate contesting the election from each Revenue Commissioners division separately.

(5) In case of election, the Returning Officer shall send to all voters of the Revenue Commissioners division thirty days prior to the date fixed for election, a notice in Form-5 by registered post along with a declaration in Form-4 and a voting paper duly signed by the Returning Officer in Form-3 in which the names of all candidates contesting from that Revenue Commissioners division shall be printed in alphabetical order in Hindi in Devnagri script. The Returning Officer along with the above materials also send to all voters two envelopes, inner and outer, the outer envelope shall bear the address of the Returning Officer and shall be bigger in size than the inner one.

The inner envelope should be superscribed "Voting Paper Envelope" for returning the voting paper and the outer envelope shall be addressed to the Returning Officer for covering the above envelope for delivery either by post or by person. The outer envelope shall contain the voting paper envelope and the declaration form duly signed by the voter.

(6) A voting paper along with other material referred to in sub-rule (5) shall also be supplied to any elector on her/his applying to the Returning Officer for the same before seven days of the date fixed for election provided the Returning Officer is satisfied that he/she has not been supplied with the voting paper till date.

(7) Such elector who has not received the voting paper and other material by post or who has lost them on receipt or who has inadvertently spoilt the voting paper before sending to the Returning Officer may make request in writing for re-issue of the same with such declaration, as the case may be, before seven days of the date fixed for election. He shall also return the spoilt voting paper along with the above said request which the Returning Officer shall cancel before issuing another voting paper.

(8) In all such cases where voting paper has been issued twice, the Returning Officer shall make a sign on the name of such elector and record a note against his name of having issued another voting paper in the voters list.

(9) No election shall be invalidated by reason of the non-receipt by an elector of her or his voting paper.

17. **Return of voting papers.**—Every elector desirous of recording her or his vote shall fill in the declaration form and send her or his voting paper at his own cost by registered post to the Returning Officer after recording her or his vote thereon in the manner prescribed therein. Voting paper handed over in person by a voter shall be accepted as valid, for which a receipt shall be given. Voting papers which are not received by the Returning Officer before the date and time appointed for the receipt of votes shall be rejected.

18. **Endorsement by Returning Officer.**—On receipt of the envelope intended for voting paper along with the declaration, the Returning Officer shall endorse on the outer envelop the date and hour of its receipt.

19. **Counting of Votes.**—(1) The Returning Officer shall attend, for the purpose of scrutiny and counting of votes on the date of election at 5 P.M. at the place appointed.

(2) The Returning Officer immediately after 5 P.M. on the date referred to in sub-rule (1) above shall open the outer envelopes.

(3) Every candidate may remain present in person or may send a representative duly authorised by her or him in writing to watch the process of counting.

20. **Rejection of the envelope intended for voting paper.**—The Returning Officer shall reject the envelop intended for voting paper, if,—

(1) (a) the declaration is not placed out of the envelop intended for voting paper; or

(b) the declaration has been received in another form than that was sent to the voter by the Returning Officer; or

(c) the declaration has not been signed by the elector; or

(d) the voting paper has not been kept in the envelop intended for the purpose and the same has been kept in the outer envelop; or

(e) the outer envelop contains more than one declaration or the voting paper;or

(f) the declaration of the elector does not carry the registration number registered under State Homoeopathy Council.

(2) In such cases referred to in sub rule (1) the Returning Officer shall endorse " Rejected" on the envelop intended for voting paper as well as on the declaration.

(3) The Returning Officer after his satisfaction that the declaration is signed by the elector, shall keep all declaration in safe custody as per rule 24.

21. **Presence of the Returning Officer during scrutiny and counting of votes.**—(1) The Returning Officer shall personally remain present on the day at the appointed time for scrutiny and counting of the voting papers:

Provided that the day fixed for the purpose shall in no case be later than three days of the date of election.

(2) All envelopes containing voting paper except those which have been rejected under rule 20 shall be opened and all the voting papers shall be taken out and mixed together and after scrutiny, counting shall be done but before counting the valid voting papers shall be arranged Revenue Commissioners' Division-wise.

(3) The voting paper shall be invalid if,—

(a) it does not bear the signature of the Returning Officer; or

(b) it bears the signature of the voter or bears any mark or writing by which the voter can be identified: or

(c) it does not bear the 'x' mark against the name of any candidate in token of having exercised the right of franchise; or

(d) it bears 'x' mark against the name of more than one candidates or bears 'x' mark so as to make it suspicious as to whom of the two candidates was the vote intended.

(e) it bears 'X' mark with pencil.

22. **Presence of candidates during counting of votes.**—(1) Every candidate may remain present in person or may send representative duly authorised by her or him in writing to watch the process of counting.

(2) The Returning Officer shall show the voting papers, if required to the candidates or their representatives.

(3) If any objection is made to any voting paper on the ground that it does not comply with instructions therein, or to the rejection by the Returning Officer of a voting paper, it shall be decided at once by the Returning Officer whose decision thereon shall be final.

Form-2

[See clause (1) of rule 12]

Kindly paste here recent passport size photograph duly signed by the candidate

FORM OF NOMINATION

REVENUE Commissioners Division . . . . . .

1. Name of the Candidate . . . . . .
2. Name of father/husband . . . . . .
3. Date of birth/Age . . . . . Years . . . . . Months. . . . . Days . . . . .
4. Recognised Qualification in Homoeopathy;Awarding authority and year of passing . . . . . .
5. Registration number of the State Register . . . . . .
6. Residential Address . . . . . .
7. Revenue Commissioners Division . . . . . .
8. Signature of the proposer . . . . . .
9. Registration number of the proposer . . . . . .
10. Residential address of the proposer . . . . . .
11. Signature of the seconder . . . . . .
12. Registration number of the seconder . . . . . .
13. Residential address of the seconder . . . . . .

Declaration of the candidate

I hereby accept my candidature for the election of a member of the Madhya Pradesh State Council of Homoeopathy from. . . . . commissionary.

Date ————— . . . . . .

Signature of the candidate

FOR OFFICIAL USE

Received nomination paper on . . . . . at . . . . . hour. for . . . . . Revenue Commissioners' Division.

signature of the Returning Officer

(4) The Returning Officer may appoint such number of Gazetted Officers as he may deem necessary for the purpose of scrutiny and counting of voting papers.

23. **Declaration of the result of the election.**—(1) When the counting of votes has been completed, the Returning Officer shall forthwith declare the candidate, to whom largest number of valid votes has been given, as elected from each Revenue Commissioner's Division.

(2) When an equality of votes found to exist between any candidate and the addition of one vote will entitle any of the candidates to be declared elected, the determination of such candidate,to whom one such additional vote shall be deemed to have been given, shall be made, by lot to be drawn by the Returning Officer in such manner as he may determine.

24. **Sealing and safe custody of the documents related to the election.**—Upon the completion of the counting and after the result has been declared by him, the Returning Officer shall seal up the voting papers and all other documents relating to the election and shall retain the same for a period of six months or till the disposal of any dispute filed before the State Government under sub section (2) of section 4 of the Act, which ever is later and thereafter cause them to be destroyed.

25. **Communication of the result of the election.**—The Returning Officer shall communicate the result of the election to the State Council of Homoeopathy and to the Secretary to Government of Madhya Pradesh, Medical Education Department and the later shall then publish it in the Madhya Pradesh Gazette for general information.

26. **Cancellation of election.**—The State Govt. under the provisions of Homoeopathy Parishad Adhiniyam 1976 may on its own motion or an objection made in writing by any candidate or candidates, declare any election, that has been held, as void on account of any currupt practice or other sufficient cause and may call on the electorate to make a fresh election. The decision of the state Govt. under the provisions of the Act shall be final. and binding upon the parties.

27. **Explanation of the Council on the terms related to these rules.**—The decision of the Council on any question that may arise as to the intention,construction or application of these rules shall be final subject to approval of the State Government.

28. **Disputes regarding election.**—Where any dispute arises regarding any election of an elected member of the Council.it shall be referred to the State Government within a period of thirty days and the decision of the State Government thereon shall be final.

29. **Repeal and Savings.**—Any rule or order corresponding to these rules immediately in force shall stand repeal:

Provided that any order passed or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been passed or taken under the corresponding provisions of these rules.

Form-1

(See rule 3)

Voters List

Name of Revenue Commissioners Division ——————————————

Serial Number	Name and Address of voters	Name of father/ husband	Male/ Female	Date of birth	Registration number of the voters
1.	2	3	4	5	6

Instructions

1. Nomination paper not received on or before . . . . . .upto . . . . . .hour at . . . . (place) shall be rejected.

2. The names and residential address of the candidate proposer and seconder should be written as have been recorded in the State Register maintained by the State Homoeopathy Council.

Form-3

[See clause (2) of rule 12]

Voting Paper

1. S.No.
2. Name of the Revenue Commissioner's Division . . . . . .
3. Number of members to be elected ONE

S.No.	Name of the candidate and his address	Mark of Voting
(1)	(2)	(3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Signature of the Returning Officer

Instructions

1. Mark of voting X should be placed in column (3) above against any one of the candidates of the choice of the voter.

2. The voting paper shall be invalid if :—

(a) it does not bear the signature of the Returning Officer; or

(b) it bears the signature of the voter or bears any mark or writing by which the voter can be indentified; or

(c) it does not bear x mark against the name of any candidate at appropriate place; or

(d) it bears x mark against the name of more than one candidate; or

(e) it bears the x mark so as to make it suspicious as to whom of the two candidates was the vote intended.

(f) it bears the X mark with pencil.

Form-4

(See sub-rule (5) of rule 16)

DECLARATION

1. **Full name and address of the voter** _____

2. **Registration number according to state register** _____

I, _____(Name of the voter) hereby, declare for the purpose of election of a member under clause (a) of sub-section (1) of the Section 3 of the Madhya Pradesh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976) that I am a voter for such election and I have not signed on any other declaration paper except this one.

Date. . . . . .

. . . . . .
Signature of the Voter

. . . . . .
Facsimile Signature
of the Returning Officer

Form-5

[See sub-rule (5) of rule 16]

INSTRUCTIONS FOR ELECTION

Sir,

1. The candidates whose names have been listed in the voting paper are hereby declared as contesting candidates for the election of a member of the State Homoeopathy Council. In case you are desirous to exercise the right of your franchise, you are requested to :—

(a) sign the declaration form duly filled in ;

(b) put the mark x at the appropriate place on the voting paper;

(c) insert the voting paper in the envelop intended for the purpose (small envelope) and close the said envelop; and

(d) put the envelope referred to in clause (c) into already sent another big envelope which is addressed to the Returning Officer and put the duly filled declaration form also in the big envelope and post it or deliver in person to the Returning Officer on or before . . . . . by 5 P.M. Positively.

(2) The voting paper shall stand rejected, if—

(a) the envelop containing the envelop intended for voting paper does not reach either by post or by poersonnel delivery on the date, time and place fixed for election; or

(b) the outer envelop does not contain the declaration form duly signed, or

(c) the declaration received is in another form than that was sent to the voter by the Returning Officer; or

(d) the declaration form does not bear the facsimile signature of the Returning Officer, or

(e) the voting paper has not been placed in the envelope intended for the purpose and the same has been received in the outer envelop; or

(f) more than one voting papers or declarations or both have been sent in the outer envelop; or

(g) the voter has failed to enter his registration number of the council.

(3) Voting paper shall be invalid, if,—

(a) it does not bear the signature of the Returning Officer; or

(b) it bears the signature of the voter or bears any mark or writing by which voter can be identified; or

(c) it does not bear the X mark at the appropriate place, or

(d) it bears X mark against more than one contesting candidate; or

(e) it bears the X mark so as to make it suspicious as to whom of the two candidates was the vote intended.

4. If the voting paper and other enclosed papers which have been inadvertently dealt in such manner that they cannot be conveniently used can be Returned to Returning Officer seven days before the date fixed for election with a written request for issue of the same again and in turn the Returning Officer may issue a new voting paper with other documents if he is satisfied with reason detailed by the voter.

5. At the time of scrutiny and counting of voting papers no person other than the candidates and their representatives shall be allowed by the Returning Officer. The Returning Officer may however allow the officers and servants appointed for his assistance in this behalf

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
ANUBHA SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.